न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 155/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड **बनाम** उपजिला कलेक्टर बौंली
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम मलारना डूंगर

GCMS No-2025/319

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
12.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **सतर्कता अनुभाग के पत्रांक प.(2)136/स.आ.परिवाद/सामा/सतर्कता/2024/3908 दिनांक 25.3.2025 पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति**" उपजिला कलेक्टर बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ/2025/3675 दिनांक 12.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.8.2025 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर बौंली के पत्रांक 2031 दिनांक 29.8.2025 एवं पत्रांक 3106 दिनांक 1.10.2025 पत्रांक 3623 दिनांक 6.11.2025 से उक्त परिवाद का जवाब सतर्कता अनुभाग को भिजवाते हुए पत्र की प्रति अपीलान्ट को पृष्ठांकित की गयी। इस प्रकार सतर्कता परिवाद पर की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner